लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 7)

[17 मार्च, 2006]

लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें व-र्ा में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) अधिनियम, 2006 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है।

1959 का 23 **2.** लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) में,— धारा 2 का संशोधन ।

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(कक) "प्राधिकरण" से धारा 22क में निर्दि-ट अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ककक) "बोर्ड" से धारा 29क के अधीन गठित क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड अभिप्रेत है;';

(ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(चक) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;';

(iii) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(झक) "विनिर्दि-ट" से इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दि-ट अभिप्रेत है;

(झख) "अधिकरण" से धारा 10ख की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अधिकरण अभिप्रेत है;'।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 4 का संशोधन ।

"(3) उपधारा (1) के खंड (ii), (iii), (iv) और (v) में वर्णित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति विहित रीति से आवेदन किए जाने पर और उसके अनुज्ञात होने और ऐसी फीसों के संदाय पर जो परि-ाद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित की जाए, जो तीन हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी, रजिस्टर में अपना नाम प्रवि-ट करवाएगा :

परंतु परि-ाद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, तीन हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में छह हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।"।

धारा 5 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) कोई भी सदस्य जो सहयुक्त है और जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात् या भागतः इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व और भागतः इसके पश्चात्, भारत में कम-से-कम पांच व-र्ा तक लगातार व्यवसाय कर रहा है तथा ऐसा कोई सदस्य, जो कम-से-कम पांच व-र्ा की कालावधि तक लगातार सहयुक्त रहा है और जिसके पास ऐसी अर्हताएं हैं जिन्हें परि-ाद् यह सुनिश्चित करने की दृ-ि से विहित करे कि उसका अनुभव लागत लेखापाल के रूप में पांच व-र्ा की कालावधि तक के लगातार व्यवसाय करने के परिणामस्वरूप प्रसामान्यतः हो जाने वाले अनुभव के समतुल्य है, ऐसी फीसों के संदाय पर जो परि-ाद् द्वारा अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाएं जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होंगी और विहित रीति से आवेदन किए जाने पर और उसके अनुज्ञात होने पर रजिस्टर में संस्थान के अध्येता के रूप में प्रवि-ट किया जाएगा:

परंतु परि-ाद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पांच हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

स्प-टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में, इस बात के होते हुए भी कि उस कालावधि में उसने वास्तविक रूप में व्यवसाय नहीं किया है, यह समझा जाएगा कि उसने ऐसी कालावधि तक भारत में वह व्यवसाय किया है जिसके लिए उसके पास धारा 6 के अधीन व्यवसाय का प्रमाणपत्र है।

स्प-टीकरण 2—उस लगातार कालावधि की, जिसके दौरान कोई व्यक्ति संस्थान का सहयुक्त रहा है, संगणना करने में ऐसी लगातार अवधि सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान वह व्यक्ति संस्थान का सहयुक्त होने से ठीक पूर्व विघटित कंपनी का सहयुक्त रहा है।"।

धारा 6 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(i) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) प्रत्येक ऐसा सदस्य अपने प्रमाणपत्र के लिए ऐसे प्ररूप में आवेदन करेगा और ऐसी वार्-िाक फीस का संदाय करेगा जो परि-ाद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित की जाए और जो तीन हजार रुपए से अधिक नहीं होगी और ऐसी फीस प्रत्येक व-र्ा में 1 अप्रैल को या उससे पूर्व देय होगी :

परंतु परि-ाद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, तीन हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में छह हजार रुपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि यदि संस्थान के किसी सदस्य ने जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व व्यवसाय कर रहा था, ऐसे प्रारंभ से एक मास के अंदर व्यवसाय प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए आवेदन दिया है तो उसके बारे में इस कारण कि उसने ऐसे प्रारंभ और आवेदन के निपटारे के बीच की अवधि के दौरान व्यवसाय किया है, यह नहीं समझा जाएगा कि उसने उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन किया है ।";

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (1) के अधीन अभिप्राप्त किया गया व्यवसाय-प्रमाणपत्र परि-ाद् द्वारा ऐसी परिस्थितियों में, जो विहित की जाए, रद्द किया जा सकेगा ।"।

धारा 9 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(i) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) परि-ाद् का गठन, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर होगा, अर्थात्:—

(क) पंद्रह से अनधिक व्यक्तियों को जिन्हें संस्थान के सदस्यों द्वारा उसके ऐसे अध्येताओं में से निर्वाचित किया जाएगा, जिनको ऐसी रीति से और ऐसे क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्रों से चुना गया है जो विनिर्दि-ट किए जाएं :

परंतु संस्थान का कोई अध्येता जिसे किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दो-ी पाया गया है और उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है या उस पर जुर्माने की शास्ति अधिरोपित की गई है, यथास्थिति, रजिस्टर से नाम हटाए जाने की अवधि के पूरा होने से या जुर्माने के संदाय से,–

(i) इस अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन आने वाले अवचार की दशा में, तीन वर्ष की अवधि तक;

(ii) इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अधीन आने वाले अवचार की दशा में, छह वर्ष की अवधि तक,

निर्वाचन लड़ने का पात्र नहीं होगा;

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दि-ट रीति से नामनिर्देशित पांच से अनधिक व्यक्ति।'';

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(3) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन परि-ाद् के निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा ।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो संस्थान का लेखापरीक्षक रहा है, उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन परि-ाद् के निर्वाचन के लिए उसके लेखापरीक्षक न रहने के पश्चात् तीन व-र् की अवधि तक पात्र नहीं होगा ।"।

7. मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 10 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"10. धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचित या नामनिर्देशित परि-ाद् का कोई सदस्य, यथास्थिति, पुनःनिर्वाचन या पुनःनामनिर्देशन के लिए पात्र होगा: परिषद् के लिए पुनः निर्वाचन या पुनः नामनिर्देशन।

परंतु कोई भी सदस्य दो आनुक्रमिक अवधियों से अधिक अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा :

परंतु यह और कि परि-ाद् का ऐसा कोई सदस्य, जो धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाता है या किया गया है, परि-ाद् के सदस्य के रूप में निर्वाचन या नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा।"।

8. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— नई धारा 10क और धारा 10ख का अंतःस्थापन।

"10क. धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन किसी निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद की दशा में, व्यथित व्यक्ति संस्थान के सचिव को निर्वाचन के परिणाम की घो-णा की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन कर सकेगा जो उस आवेदन को केन्द्रीय सरकार को अग्रे-ित करेगा । निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा।

10ख. (1) केंद्रीय सरकार, धारा 10क के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसे विवाद का विनिश्चय करने के लिए अधिकरण की स्थापना अधिसूचना द्वारा, करेगी जिसका गठन एक पीठासीन अधिकारी और दो अन्य सदस्यों से मिलकर होगा और ऐसे अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा । अधिकरण की स्थापना।

(2) कोई व्यक्ति,—

(क) अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा है और उसने उस सेवा की श्रेणी-1 में पद कम-से-कम तीन व-र् तक धारण किया है;

"

(ख) सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह परि-ाद् का कम-से-कम एक पूरी कालावधि के लिए सदस्य रहा है और जो परि-ाद् का आसीन सदस्य नहीं है या जो विवादाधीन निर्वाचन में अभ्यर्थी नहीं रहा है; या

(ग) सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत सरकार के संयुक्त सचिव का पद या केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसा कोई अन्य पद धारण कर रहा है जिसका वेतनमान भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान से कम नहीं है।

(3) अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें, उनके अधिवेशनों के स्थान और भत्ते वे होंगे जो विनिर्दि-ट किए जाएं ।

(4) अधिकरण के व्यय परि-ाद् द्वारा वहन किए जाएंगे।"।

धारा 12 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(i) उपधारा (2) में, "मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "प्रधान" शब्द रखा जाएगा,

(ii) उपधारा (3) में,—

(क) "वह पुनः निर्वाचन का पात्र होगा" शब्दों के स्थान पर, "वह उपधारा (1) के अधीन पुनःनिर्वाचन का पात्र होगा" शब्द, को-ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, "अध्यक्ष और उपाध्यक्ष" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 13 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 13 में,—

(i) उपधारा (2) में "अधिवेशनों से अनुपस्थित रहा है," शब्दों के पश्चात्, "या वह किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दो-ी पाया गया है और उस पर जुर्माने की शास्ति अधिरोपित की गई है," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) के परंतुक में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर, "एक व-र्ा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 14 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में, "तीन व-र्ा" शब्दों के स्थान पर, "चार व-र्ा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 15 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

परिषद् के कत्य।

"15. (1) संस्थान परि-ाद् के संपूर्ण नियंत्रण, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन कृत्य करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का कर्तव्य परि-ाद् में निहित होगा।

(2) विशि-टतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परि-ाद् के कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(क) शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और उनकी अंतर्वस्तुओं का अनुमोदन करना;

(ख) नामावली में नाम प्रवि-ट करने के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए फीस विहित करना;

(ग) रजिस्टर में प्रवि-िट के लिए अर्हताएं विहित करना;

(घ) नामावली में नाम प्रवि-ट किए जाने के प्रयोजन के लिए विदेशी अर्हताओं और प्रशिक्षण को मान्यता देना;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र देने या देने से इंकार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विहित करना;

(च) सदस्यों, परीक्षार्थियों और अन्य व्यक्तियों से फीस उद्गहीत करना;

(छ) संस्थान के सदस्यों की वृत्तिक अर्हताओं की प्रति-ठा और स्तर को विनियमित करना और बनाए रखना;

(ज) परिषद् के सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देकर या किसी अन्य रीति से लेखाकर्म में अनुसंधान करना;

"

(झ) निदेशक (अनुशासन), इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित अनुशासन बोर्ड, अनुशासन समिति और अपील प्राधिकरण के कार्यकरण को समर्थ बनाना;

(ञ) क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड के कार्यकरण को समर्थ बनाना;

(ट) धारा 29ख के खंड (क) के अधीन की गई क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करना और उस पर केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट के साथ तीन मास के भीतर कार्रवाई करना तथा उनको वार्-िक रिपोर्ट में सम्मिलित करना; और

(ठ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और समय-समय पर संस्थान को सौंपे गए अन्य कानूनी कर्तव्यों के अनुपालन में संस्थान के कार्यकरण को सुनिश्चित करना।"।

13. मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— नई धारा 15क और धारा 15ख का अंतःस्थापन।

"15क. संस्थान के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा— संस्थान के कत्य।

(क) नामावली में नाम प्रवि-ट करने के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा;

(ख) छात्रों के प्रशिक्षण का विनियमन;

(ग) लागत लेखापालों के रूप में व्यवसाय करने के लिए अर्हित व्यक्तियों का रजिस्टर रखना और उसका प्रकाशन;

(घ) सदस्यों, परीक्षार्थियों और अन्य व्यक्तियों से फीस का संग्रहण;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन समुचित प्राधिकारियों के आदेशों के अधीन रहते हुए, रजिस्टर से नामों का हटाया जाना और रजिस्टर में ऐसे नामों का प्रत्यावर्तन जिनको हटा दिया गया है;

(च) पुस्तकालय का अनुरक्षण और लेखाकर्म और सहबद्ध वि-ायों से संबंधित पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन;

(छ) संस्थान की परि-ाद् का निर्वाचन कराना; और

(ज) परि-ाद् द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यवसाय प्रमाणपत्र देना या देने से इंकार करना ।

15ख. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय या संस्थान से सहबद्ध कोई निकाय संस्थान के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले वि-ायों पर शिक्षा प्रदान कर सकेगा । विश्वविद्यालयों और अन्य निकायों द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाना।

(2) उपधारा (1) में निर्दि-ट विश्वविद्यालय या निकाय, डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करते समय या कोई पदनाम देते समय, यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रमाणपत्र या पदनाम संस्थान द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र या पदनाम के सदृश न हों या उसके समरूप न हों ।

(3) इस धारा की कोई बात किसी विश्वविद्यालय या निकाय को ऐसा नाम या नामपद्धति अंगीकार करने के लिए समर्थ नहीं बनाएगी जो संस्थान के नाम या नामपद्धति के किसी रूप में समरूप है ।"।

14. मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 16 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"16. (1) परि-ाद्, अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए— अधिकारी और कर्मचारी, वेतन, भत्ते, आदि।

(क) परिषद् के सचिव की, ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए, नियुक्ति करेगी जो विहित किए जाएं;

(ख) एक निदेशक (अनुशासन) की, ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्ति करेगी जो उसे इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन समनुदेशित किए जाएं;

(ग) परि-ाद् के या संस्थान के एक अधिकारी को संस्थान के प्रशासनिक कत्यों को करने के लिए उसके मुख्य कार्यपालक के रूप में पदाभिहित करेगी ।

(2) परि-ाद्—

(क) परि-ाद् और संस्थान में ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे;

(ख) परि-ाद् और संस्थान के सचिव से या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी से अपने कर्तव्यों के सम्यक् पालन के लिए ऐसी प्रतिभूति की भी अपेक्षा कर सकेगी और ले सकेगी जिसे परि-ाद् आवश्यक समझे;

(ग) परि-ाद् और संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, फीस, भत्ते और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें भी विहित कर सकेगी;

(घ) केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों और उसकी समितियों के सदस्यों के भत्ते भी तय कर सकेगी।

(3) परि-ाद् का सचिव परि-ाद् के अधिवेशनों में भाग लेने का हकदार होगा किन्तु उनमें मत देने का हकदार नहीं होगा ।"।

धारा 17 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 17 में,—

(क) उपधारा (1) में, खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ii) वित्त समिति; और";

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) प्रत्येक स्थायी समिति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदेन और परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाने वाले कम-से-कम तीन और अधिक से अधिक पांच सदस्यों से, मिलकर बनेगी।";

(ग) उपधारा (4) और उपधारा (5) का लोप किया जाएगा;

(घ) उपधारा (6) में, "समिति की सदस्यता के दो-तिहाई" शब्दों के स्थान पर, "समिति की कुल सदस्यता के एक-तिहाई" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 18 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 18 में,—

(i) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) परि-ाद् पूंजी को राजस्व से सुभिन्न करते हुए निधि के उचित लेखा विहित रीति में रखेगी ।

(4) परि-ाद्, वित्तीय व-र् के प्रारंभ होने से पूर्व, एक वार्-िक वित्तीय विवरण (बजट) विहित रीति में तैयार करेगी और उसका अनुमोदन करेगी जिसमें आगामी व-र् के लिए उसके प्रत्याशित सभी राजस्वों तथा सभी प्रस्तावित व्ययों को उपदर्शित किया जाएगा ।

(5) परि-ाद् के वार्-िक लेखे ऐसी रीति में तैयार किए जाएंगे जो विहित की जाए और वे परि-ाद् द्वारा हर व-र् नियुक्त किए जाने वाले व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे:

परंतु परि-ाद् का कोई सदस्य या ऐसा कोई व्यक्ति जो पिछले चार व-र् के दौरान परि-ाद् का सदस्य रहा है या ऐसा व्यक्ति जो ऐसे सदस्य के साथ भागीदारी में है, इस उपधारा के अधीन लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यह और कि यदि परिषद् की जानकारी में यह बात लाई जाती है कि परिषद् के लेखे, परिषद् की वित्तीय स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो परिषद् स्वयं विशेष संपरीक्षा करा सकेगीः

परन्तु यह भी कि यदि ऐसी सूचना कि परिषद् के लेखे उसकी वित्तीय स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत नहीं करते, केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् को भेजी जाती है तो परिषद्, जहां भी उपयुक्त हो उसकी विशेष संपरीक्षा करा सकेगी और ऐसे अन्य कार्य कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे और केन्द्रीय सरकार को उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देगी।";

(ii) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(5क) प्रत्येक व-र्ा की समाप्ति पर यथाशक्यशीघ्र परि-ाद् अपने सदस्यों को कम-से-कम पंद्रह दिन पहले संपरीक्षित लेखाओं को परिचालित करेगी और इस प्रयोजन के लिए बुलाए गए विशेष अधिवेशन में इन लेखाओं पर विचार करेगी और उनका अनुमोदन करेगी ।

(5ख) परि-ाद् आगामी व-र्ा के सितम्बर की 30 तारीख के अपश्चात् भारत के राजपत्र में संपरीक्षित लेखाओं और परि-ाद् द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित उस व-र्ा की परि-ाद् की रिपोर्ट की प्रति प्रकाशित कराएगी और उक्त लेखाओं और रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्रीय सरकार और संस्थान के सभी सदस्यों को भेजी जाएंगी ।"।

धारा 19 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(i) उपधारा (3) में, "ऐसी सूची की प्रति उसको भेजेगी" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी सूची की प्रति उसको ऐसी रकम के संदाय पर, जो विहित की जाए, भेजेगी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) संस्थान का प्रत्येक सदस्य, रजिस्टर में अपना नाम प्रवि-ट किए जाने के पश्चात्, ऐसी वार्-िक सदस्यता फीस का संदाय करेगा जो परि-ाद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाए और जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगीः

परंतु परि-ाद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पांच हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।"।

धारा 20 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 20 में उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) यदि किसी सदस्य का नाम उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन रजिस्टर से हटा दिया गया है तो आवेदन की प्राप्ति पर, उसका नाम, वार्-िक फीस और प्रवेश फीस के बकाया तथा ऐसी अतिरिक्त फीस के संदाय पर, जो परि-ाद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाए और जो दो हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट किया जा सकेगा:

परन्तु परि-ाद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, दो हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में चार हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।"।

धारा 21 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

19. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुशासन निदेशालय।

'21. (1) परि-ाद्, एक अनुशासन निदेशालय की स्थापना अधिसूचना द्वारा करेगी जिसका प्रमुख निदेशक (अनुशासन) के रूप में अभिहित संस्थान का कोई अधिकारी होगा और उसे प्राप्त किसी इत्तिला या परिवाद के संबंध में अन्वे-ाण करने के लिए ऐसे अन्य कर्मचारी होंगे।

(2) विहित फीस के साथ कोई इत्तिला या परिवाद प्राप्त होने पर निदेशक (अनुशासन) अभिकथित अवचार के घटित होने के बारे में किसी प्रथमदष्ट्या राय पर पहुंचेगा।

(3) जहां निदेशक (अनुशासन) की यह राय है कि कोई सदस्य पहली अनुसूची में वर्णित किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दो-ी है वहां वह अनुशासन बोर्ड के समक्ष मामले को रखेगा और जहां निदेशक (अनुशासन) की यह राय है कि कोई सदस्य दूसरी अनुसूची या दोनों अनुसूचियों में वर्णित किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दो-ी है वहां वह अनुशासन समिति के समक्ष मामले को रखेगा ।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्वे-ाण करने के लिए अनुशासनिक निदेशालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(5) जहां परिवादी परिवाद को वापस लेता है वहां निदेशक (अनुशासन), ऐसी वापसी को, यथास्थिति, अनुशासन बोर्ड या अनुशासनिक समिति के समक्ष रखेगा और उक्त बोर्ड या समिति यदि उसकी यह राय है कि परिस्थितियों में ऐसा वांछनीय है तो किसी प्रक्रम पर वापस लेने को अनुज्ञात कर सकेगी।"।

नई धारा 21क, धारा 21ख, धारा 21ग और धारा 21घ का अंतः-स्थापन।

20. मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

अनुशासन बोर्ड।

'21क. (1) परि-ाद् अनुशासन बोर्ड का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे,—

(क) विधि में अनुभव रखने वाला ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनुशासनिक वि-ायों और वृत्ति का ज्ञान हो, जो उसका पीठासीन अधिकारी होगा;

(ख) दो ऐसे सदस्य जिनमें से एक परि-ाद् द्वारा निर्वाचित परि-ाद् का सदस्य होगा और दूसरा सदस्य धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट व्यक्ति होगा;

(ग) निदेशक (अनुशासन) बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(2) अनुशासन बोर्ड अपने समक्ष सभी मामलों पर विचार करते समय संक्षिप्त निपटान प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(3) जहां अनुशासन बोर्ड की यह राय है कि कोई सदस्य पहली अनुसूची में वर्णित वृत्तिक या अन्य अवचार का दो-ी है वहां वह उसके विरुद्ध कोई आदेश करने से पूर्व उस सदस्य को सुनवाई का अवसर देगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित कोई एक या अधिक कार्रवाई करेगा, अर्थात् :—

(क) सदस्य को धिग्दण्ड करना;

(ख) सदस्य के नाम को रजिस्टर से तीन मास की अवधि तक के लिए हटाना;

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना जिसे वह ठीक समझे और जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(4) निदेशक (अनुशासन), जहां उसकी यह राय है कि कोई प्रथमदृ-ट्या मामला नहीं है वहां अनुशासन बोर्ड के समक्ष सभी इत्तिला और परिवाद रखेगा और यदि अनुशासन बोर्ड निदेशक (अनुशासन) की राय से सहमत हो तो मामले को बंद कर सकेगा या असहमति की दशा में निदेशक (अनुशासन) को मामले में और अन्वेषण करने की सलाह दे सकेगा।

अनुशासन समिति।

21ख. (1) परि-ाद् एक अनुशासन समिति का गठन करेगी जो पीठासीन अधिकारी के रूप में परि-ाद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और परि-ाद् के सदस्यों में से निर्वाचित किए जाने वाले दो सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखाकर्म के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले विख्यात व्यक्तियों में से नामनिर्दि-ट किए जाने वाले दो सदस्यों से मिलकर बनेगी:

परन्तु परि-ाद्, जब भी वह आवश्यक समझे, अधिक अनुशासन समितियों का गठन कर सकेगी ।

(2) अनुशासन समिति, उसके समक्ष रखे गए मामलों पर विचार करते समय, ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो विहित की जाए ।

(3) जहां अनुशासन समिति की यह राय है कि कोई सदस्य दूसरी अनुसूची या पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची, दोनों में वर्णित वृत्तिक या अन्य अवचार का दो-ी है वहां वह उसके विरुद्ध कोई आदेश करने से पूर्व उस सदस्य को सुनवाई का अवसर देगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित कोई एक या अधिक कार्रवाई करेगा, अर्थात् :—

(क) सदस्य को धिग्दण्ड देना;

(ख) सदस्य के नाम को रजिस्टर से स्थायी रूप से या ऐसी अवधि तक के लिए जिसे वह ठीक समझे, हटाना;

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना जिसे वह ठीक समझे और जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दि-ट सदस्यों को संदेय भत्ते वे होंगे जो विनिर्दि-ट किए जाएं ।

प्राधिकरण, अनुशासन समिति, अनुशासन बोर्ड और निदेशक (अनुशासन) को सिविल न्यायालय की शक्तियों का होना ।

1908 का 5

21ग. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जांच करने के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण, अनुशासन समिति, अनुशासन बोर्ड और निदेशक (अनुशासन) को निम्नलिखित वि-यों की बाबत वे ही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और उसका प्रस्तुतीकरण; और

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना ।

स्प-टीकरण—धारा 21, धारा 21क, धारा 21ख, धारा 21ग और धारा 22 के प्रयोजनों के लिए, "संस्थान के सदस्य" के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो अभिकथित अवचार की तारीख को संस्थान का सदस्य था भले ही वह जांच के समय संस्थान का सदस्य न रहा हो।

संक्रमणकालीन उपबंध।

21घ. लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ से पूर्व परिषद् के समक्ष लम्बित सभी परिवाद या अनुशासन समिति द्वारा प्रारंभ की गई कोई जांच या उच्च न्यायालय को किया गया कोई निर्देश या अपील इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा ऐसे शासित होती रहेगी मानो लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा इस अधिनियम का संशोधन किया ही न गया हो।'।

धारा 22 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

21. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

वत्तिक या अन्य अवचार की परिभाषा।

'22. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ''वत्तिक या अन्य अवचार'' पद के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत ऐसा कार्य या लोप आता है जो अनुसूचियों में से किसी अनुसूची में उपबंधित है किन्तु इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी रूप में किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संस्थान के किसी सदस्य के आचरण की जांच करने के लिए धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक (अनुशासन) को प्रदत्त शक्ति या उसको अधिरोपित कर्तव्य को सीमित या कम करती है।'।

नई धारा 22क, धारा 22ख, धारा 22ग, धारा 22घ और धारा 22ङ का अन्तःस्थापन।

22. मूल अधिनियम की धारा 22 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

अपील प्राधिकरण का गठन।

1949 का 38

'22क. चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22क की उपधारा (1) के अधीन गठित अपील प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इस उपांतरण के

अधीन रहते हुए, अपील प्राधिकरण समझा जाएगा कि उक्त उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा गया है, अर्थात् :—

"(ख) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से, जो भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान परि-ाद् के कम-से-कम एक पूरी कालावधि के लिए सदस्य रहे हैं और जो परि-ाद् के आसीन सदस्य नहीं हैं, दो अंशकालिक सदस्यों को नियुक्त करेगी;"।

प्राधिकरण के सदस्यों की कालावधि ।

22ख. सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति, पद, उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन व-र् की अवधि तक या उसके बासठ व-र् की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, धारण करेगा।

प्राधिकरण की प्रक्रिया आदि ।

22ग. चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22ग, धारा 22घ और धारा 22च के उपबंध प्राधिकरण कात्त उसके अध्यक्ष और सदस्यों के भत्तों और सेवा के निबंधनों तथा शर्तों के संबंध में और इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में उसे लागू होते हैं । 1949 का 38

प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारिव्द।

22घ. (1) परि-ाद्, प्राधिकरण को उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगी जो प्राधिकरण के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।

(2) प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

प्राधिकरण को अपील।

22ङ. (1) धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3) में निर्दि-ट कोई शास्ति उस पर अधिरोपित करने वाले अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के किसी आदेश से व्यथित संस्थान का कोई सदस्य उस तारीख से नब्बे दिन के भीतर, जिसको उसे आदेश संसूचित किया जाता है, प्राधिकरण को अपील कर सकेगा:

परन्तु निदेशक (अनुशासन), यदि परि-ाद् द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, प्राधिकरण को अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के विनिश्चय के विरुद्ध नब्बे दिन के भीतर अपील कर सकेगाः

परन्तु यह और कि प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि समय के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त कारण था, नब्बे दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी ऐसी कोई अपील ग्रहण कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण, किसी मामले के अभिलेख को मंगाने के पश्चात्, धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3) के अधीन अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति द्वारा किए गए किसी आदेश को पुनरीक्षित कर सकेगा और—

(क) आदेश की पु-िट कर सकेगा, उसे उपांतरित या अपास्त कर सकेगा;

(ख) कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा या आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को अपास्त कर सकेगा, उसे कम कर सकेगा या उसमें वृद्धि कर सकेगा;

(ग) मामले को अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति को ऐसी और जांच किए जाने के लिए विप्रे-ित कर सकेगा जिसे प्राधिकरण मामले की परिस्थितियों में उचित समझे; या

(घ) ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा जिसे प्राधिकरण ठीक समझे:

परन्तु प्राधिकरण कोई आदेश पारित करने से पूर्व संबद्ध पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देगा।'।

धारा 25 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

धारा 27 का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 27 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"¼2½ ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन किया है, किन्हीं अन्य कार्रवाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उसके विरुद्ध की जा सकती हों, पहली दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और दूसरी या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा ।"।

25. मूल अधिनियम के अध्याय 7 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— नए अध्याय ७क का अंतःस्थापन।

"अध्याय 7क

क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड

29क. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन करेगी जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे । क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की स्थापना।

(2) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति ऐसे विख्यात व्यक्तियों में से की जाएगी जो विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखाकर्म के क्षेत्र में अनुभव रखते हों ।

(3) बोर्ड के दो सदस्य परि-ाद् द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और अन्य दो सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे।

29ख. बोर्ड, निम्नलिखित कृत्य करेगा, अर्थात् :— बोर्ड के कृत्य ।

(क) संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की क्वालिटी के संबंध में परिषद् को सिफारिशें करना;

(ख) संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की, जिनके अंतर्गत लागत संपरीक्षा सेवाएं भी हैं, क्वालिटी का पुनर्विलोकन करना; और

(ग) सेवाओं की क्वालिटी में सुधार करने और विभिन्न कानूनी और अन्य विनियामक अपेक्षाओं का पालन करने के लिए संस्थान के सदस्यों का मार्गदर्शन करना ।

29ग. बोर्ड ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विनिर्दि-ट की जाए । बोर्ड की प्रक्रिया ।

29घ. (1) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें और उनके भत्ते वे होंगे जो विनिर्दि-ट किए जाएं । बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें और उसका व्यय।

(2) बोर्ड का व्यय परि-ाद् द्वारा वहन किया जाएगा ।"।

26. मूल अधिनियम की धारा 33 का लोप किया जाएगा । धारा 33 का लोप ।

27. मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 36 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"36. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, किसी अधिसूचना, निदेश या आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या परि-ाद् या प्राधिकरण या अनुशासन समिति या अधिकरण या बोर्ड या अनुशासन बोर्ड या अनुशासन निदेशालय या उस सरकार, परि-ाद्, प्राधिकरण, अनुशासन समिति, अधिकरण, बोर्ड, अनुशासन बोर्ड या अनुशासन निदेशालय के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई नहीं होगी ।"। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

नई धारा 36क का अंतःस्थापन।

28. मूल अधिनियम की धारा 36 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

सदस्यों आदि का लोक सेवक होना।

"36क. प्राधिकरण, अनुशासन समिति, अधिकरण, बोर्ड, अनुशासन बोर्ड या अनुशासन निदेशालय के अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, सदस्यों और अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक हैं।"। 1860 का 45

नई धारा 38क का अंतःस्थापन।

29. मूल अधिनियम की धारा 38 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

"38क. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशि-टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं वि-ायों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन परि-ाद् के सदस्यों के निर्वाचन और नामनिर्देशन की रीति;

(ख) धारा 10ख की उपधारा (3) के अधीन अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें, अधिवेशनों का स्थान तथा उन्हें संदत्त किए जाने वाले भत्ते;

(ग) धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन अन्वे-ाण की प्रक्रिया;

(घ) धारा 21ख की उपधारा (2) के अधीन अनुशासन समिति द्वारा मामलों पर विचार किए जाने की प्रक्रिया और उपधारा (4) के अधीन नामनिर्दि-ट सदस्यों के भत्तों का नियतन;

(ङ) धारा 29ग के अधीन बोर्ड द्वारा अपने अधिवेशनों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया; और

(च) धारा 29घ की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।"।

धारा 39 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 39 में,—

(i) उपधारा (1) में, "और ऐसे विनियमों की एक प्रति संस्थान के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (2) में,—–

(क) खंड (ज) में "परिषद् और" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (न) का लोप किया जाएगा;

(iii) उपधारा (5) का लोप किया जाएगा।

नई धारा 40 का अंतःस्थापन।

31. मूल अधिनियम की धारा 39 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का संसद् के समक्ष रखा जाना।

"40 इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा/रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, विनियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम, विनियम या अधिसूचना नहीं बनाया जाना चाहिए या जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी। किन्तु नियम,

विनियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।''।

32. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां रखी जाएंगी, अर्थात्:— प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूचियों का प्रतिस्थापन।

'पहली अनुसूची

[धारा 21(3), धारा 21क(3) और धारा 22 देखिए]

भाग 1

व्यवसाय करने वाले लागत लेखापालों के संबंध में वृत्तिक अवचार

व्यवसाय करने वाला कोई लागत लेखापाल वृत्तिक अवचार का दो-ी उस दशा में समझा जाएगा, जिसमें कि वह—

(1) किसी व्यक्ति को अपने नाम से लागत लेखापाल के रूप में व्यवसाय करने के लिए तब अनुज्ञात करता है, जबकि ऐसा व्यक्ति भी व्यवसाय करने वाला लागत लेखापाल नहीं है और उसके साथ भागीदारी में या उसके नियोजन में नहीं है;

(2) संस्थान के सदस्य या भागीदार या भागीदारी से अलग हो गए किसी भागीदार से या किसी मृतक भागीदार के विधिक प्रतिनिधि से या किसी अन्य वृत्तिक निकाय के सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति को या ऐसी अर्हताएं, जो समय-समय पर भारत में या भारत से बाहर ऐसी वृत्तिक सेवाएं देने के प्रयोजन के लिए विहित की जाएं, रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को अपने वृत्तिक कारबार की फीस या लाभ में कोई अंश, कमीशन या दलाली प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संदाय करता है या संदाय करने के लिए अनुज्ञात करता है या सहमत होता है या संदान करने या अनुज्ञात करने के लिए सहमत होता है।

स्प-टीकरण—इस मद में "भागीदार" के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो भारत के बाहर निवासी है और जिसके साथ व्यवसाय करने वाला कोई लागत लेखापाल ऐसी भागीदारी में शामिल हो गया है जो इस भाग की मद (4) का उल्लंघन नहीं करती है;

(3) किसी ऐसे व्यक्ति के, जो संस्थान का सदस्य नहीं है, वृत्तिक कार्य के लाभ का कोई भाग प्रतिगृहीत करता है या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत होता है :

परन्तु इसमें अंतर्वि-ट किसी बात यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी सदस्य को, ऐसे वृत्तिक निकाय के सदस्य या अन्य व्यक्ति के साथ जिसके पास इस भाग की मद (2) में निर्दि-ट अर्हताएं हैं, लाभ में हिस्सा बंटाने या उसी प्रकार की अन्य व्यवस्था में जिसके अन्तर्गत फीसों में अंश, कमीशन या दलाली प्राप्त करना भी है, शामिल होने से प्रतिनि-द्ध करने वाली है;

(4) व्यवसाय करने वाले किसी लागत लेखापाल से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ या ऐसे अन्य व्यक्ति, जो किसी अन्य वत्तिक निकाय का सदस्य है और जिसके पास ऐसी अर्हताएं हैं जो विहित की जाएं, जिसके अन्तर्गत ऐसा निवासी भी है जो विदेश में अपने निवास के कारण धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iv) के अधीन संस्थान के सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए हकदार होता या जिसकी अर्हताओं को ऐसी भागीदारियों को अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या परि-ाद् द्वारा मान्यता दी गई है, भारत में या भारत से बाहर भागीदारी में शामिल होता है;

(5) ऐसे किसी व्यक्ति की, जो ऐसे लागत लेखापाल का कर्मचारी नहीं है या जो उसका भागीदार नहीं है, सेवाओं के माध्यम से या ऐसे साधनों द्वारा जिन्हें उपयोग करना किसी लागत लेखापाल के लिए अनुज्ञेय नहीं है, कोई वृत्तिक कारबार प्राप्त करता है:

परन्तु इसमें की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस भाग की मद (2), मद (3) और मद (4) के निबंधनों के अनुसार किसी व्यवस्था को प्रति-िाद्ध करने वाला है;

(6) परिपत्र, विज्ञापन, वैयक्तिक पत्र-व्यवहार या साक्षात्कार या किसी अन्य साधन द्वारा मुवक्किल या वृत्तिक कार्य पाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से याचना करता है :

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगााया जाएगा कि वह ें

(i) किसी लागत लेखापाल को, व्यवसाय करने वाले किसी अन्य लागत लेखापाल से वृत्तिक कार्य के लिए आवेदन करने, अनुरोध करनS या उसे आमंत्रित करनS या प्राप्त करने से; या

(ii) किसी सदस्य को समय-समय पर वृत्तिक सेवाओं के विभिन्न उपयोगकर्ताओं या संगठनों द्वारा जारी की गई निविदाओं या परिप्रश्नों का प्रत्युत्तर देनS और परिणामतः वत्तिक कार्य प्राप्त करने से,

निवारित या प्रतिषिद्ध करने वाली है;

(7) अपनी वृत्तिक उपलब्धियों या सेवाओं का विज्ञापन या वृत्तिक दस्तावेजों, परिचय कार्डों, पत्र शीर्-िकों या नाम-पट्टों पर लागत लेखापाल से भिन्न अभिधान या पदों का प्रयोग तब करता है जबकि वह भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त उपाधि नहीं है या भारत के लागत लेखापाल संस्थान की या किसी अन्य संस्था की सदस्यता उपदर्शित करने वाली ऐसी उपाधि नहीं है जिसे केन्द्रीय सरकार ने मान्यता दे रखी है या जिसे परि-ाद् ने मान्यता दी हो:

परन्तु व्यवसाय करने वाला कोई सदस्य उसके या उसकी फर्म द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं और उसकी फर्म की विशि-िटयों का ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए जो परि-ाद् द्वारा जारी किए जाएं, उपवर्णित करते हुए किसी लेख के माध्यम से विज्ञापन कर सकेगा;

(8) लागत लेखापाल के रूप में ऐसा कोई पद, जो तत्पूर्व व्यवसाय करने वाले किसी अन्य लागत लेखापाल द्वारा धारित था, पहले उससे लिखित पत्र-व्यवहार किए बिना प्रतिगृहीत करता है;

(9) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन जिन दशाओं में ऐसा करना अनुज्ञात है, उनसे भिन्न दशाओं में, किसी वृत्तिक नियोजन के संबंध में ऐसी फीस को, जो लाभों के किसी प्रतिशत पर आधारित है या जो ऐसे नियोजन के नि-क-र्ाों या परिणाम पर समाश्रित है, प्रभारित करता है या प्रभारित करने की प्रस्थापना करता है या प्रतिगृहीत करता है या प्रतिगृहीत करने की प्रस्थापना करता है;

(10) लागत लेखापाल की वृत्ति से भिन्न किसी कारबार या उपजीविका में उस दशा में लगता है जबकि परि-ाद् द्वारा ऐसा करने के लिए उसे अनुज्ञा नहीं दी गई है :

परन्तु इसमें की कोई बात, किसी लागत लेखापाल को किसी कंपनी का निदेशक होने से (जो प्रबंध-निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक नहीं है) तब के सिवाय हक से वंचित नहीं करेगी जबकि वह या उसके भागीदार में से कोई भी भागीदार लेखापाल के रूप में ऐसी कंपनी में हितबद्ध नहीं है;

(11) ऐसे व्यक्ति को, जो संस्थान का व्यवसाय करने वाला सदस्य नहीं है या ऐसे सदस्य को, जो उसका भागीदार नहीं है, अपनी ओर से या अपनी फर्म की ओर से किन्हीं लागत या मूल्यांकन विवरणों या उनसे संबद्ध किन्हीं और विवरणों को हस्ताक्षरित करने के लिए अनुज्ञात करता है ।

भाग 2

संस्थान के सेवारत सदस्यों से संबंधित वृत्तिक अवचार

यदि संस्थान का कोई सदस्य (व्यवसाय करने वाले सदस्य से भिन्न) किसी कंपनी, फर्म या व्यक्ति का कर्मचारी होते हुए—

(1) उसके द्वारा ग्रहण किए गए नियोजन की उपलब्धियों का कोई अंश, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यक्ति को संदाय करता है या संदाय किए जाने को अनुज्ञात करता है, या संदाय किए जाने के लिए सहमत होता है,

(2) ऐसी कम्पनी, फर्म या व्यक्ति या ऐसी कम्पनी, फर्म या व्यक्ति के अभिकर्ता या मुवक्किल द्वारा नियुक्त विधि व्यवसायी, लागत लेखापाल या दलाल से, फीसों, लाभों या अभिलाभों का कोई भाग कमीशन या परितो-ाण के रूप में प्रतिगृहीत करता है, या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत होता है,

तो वह वृत्तिक अवचार का दो-ी समझा जाएगा ।

भाग 3

संस्थान के सदस्यों के संबंध में साधारणतः वृत्तिक अवचार

यदि संस्थान का कोई सदस्य, चाहे वह व्यवसाय कर रहा हो या नहीं,—

(1) संस्थान का अध्येता न होते हुए संस्थान के अध्येता के रूप में कार्य करता है;

(2) संस्थान, परिषद् या उसकी किसी समिति, निदेशक (अनुशासन), अनुशासन बोर्ड, अनुशासन समिति, क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड या अपील अधिकरण द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं देता या उन अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है, जिनके बारे में मांग की गई है;

(3) किसी अन्य लागत लेखापाल से वत्तिक कार्य आमंत्रित करते समय या निविदाओं या परिप्रश्नों का उत्तर देते समय या किसी लेख के माध्यम से विज्ञापन देते समय या इस सूची के भाग 1 की मद (6) और मद (7) के लिए यथा उपबंधित कोई बात करते समय, ऐसी सूचना देता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह मिथ्या है,

तो वह वृत्तिक अवचार का दो-ी समझा जाएगा ।

भाग 4

संस्थान के सदस्यों के संबंध में साधारणतः अन्य अवचार

यदि संस्थान का कोई सदस्य, चाहे वह व्यवसाय कर रहा हो या नहीं,—

(1) किसी सिविल या दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दो-ासिद्ध किया जाता है, जो छह मास से अनधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय है;

(2) परि-ाद् की राय में, उसने अपने कार्यों से चाहे वे उसके वृत्तिक कार्य से संबंधित हों या नहीं, वृत्ति या संस्थान की प्रति-ठा गिराता है,

तो वह अन्य अवचार का दो-ी समझा जाएगा।

दूसरी अनुसूची

[धारा 21(3), धारा 21ख(3) और धारा 22 देखिए]

भाग 1

व्यवसाय करने वाले लागत लेखापालों से संबंधित वृत्तिक अवचार

यदि व्यवसाय करने वाला लागत लेखापाल—

(1) अपने मुवक्किल की सम्मति के बिना या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा यथा अपेक्षित से अन्यथा, अपने वृत्तिक कार्य के दौरान मिली जानकारी अपने मुवक्किल से जिसने उसे नियुक्त किया है, भिन्न किसी व्यक्ति को प्रकट करता है;

(2) लागत लेखा और सम्बद्ध विवरणों की परीक्षा की रिपोर्ट अपने नाम से या अपनी फर्म के नाम से तब प्रमाणीकृत करता है या देता है; जबकि ऐसे विवरणों की परीक्षा, उसके द्वारा या उसकी फर्म के किसी भागीदार या कर्मचारी द्वारा या व्यवसाय करने वाले किसी अन्य लागत लेखापाल द्वारा नहीं की गई है;

(3) ऐसी रीति से जिससे यह विश्वास हो जाए कि वह पूर्वानुमान का ठीक होना प्रमाणित करता है, अपने नाम को या अपनी फर्म के नाम को, लागत या उन उपार्जनों के प्राक्कलन के संबंध में जो कि भवि-यवर्ती संव्यवहारों पर समाश्रित है, प्रयुक्त करने की अनुज्ञा देता है;

(4) किसी कारबार या उद्यम के लागत या मूल्यांकन विवरणों पर, जिसमें उसका, उसकी फर्म या उसकी फर्म के किसी भागीदार का सारवान् रूप से हित है, अपनी राय प्रकट करता है;

(5) किसी लागत या मूल्यांकन विवरण में उसे ज्ञात ऐसे तात्विक तथ्य को, जिसे किसी लागत या मूल्यांकन विवरण में प्रकट नहीं किया गया है, किन्तु जिसका प्रकट किया जाना ऐसा कथन करने में आवश्यक है जहां ऐसे कथन से उसका संबंध वत्तिक हैसियत में है, प्रकट करने में असफल रहता है;

(6) ऐसे किसी लागत या मूल्यांकन विवरण में, जिससे उसका वृत्तिक हैसियत में संबंध है, ऐसे किसी तात्विक अशुद्ध कथन की रिपोर्ट जो उसे ज्ञात है, प्रकट करने में असफल रहता है;

(7) अपने वृत्तिक कर्तव्यों के निर्वहन में सम्यक् तत्परता नहीं बरतता है या घोर उपेक्षा करता है;

(8) ऐसी पर्याप्त जानकारी अभिप्राप्त करने में असफल रहता है, जो किसी राय की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है या जिसके अपवाद राय की अभिव्यक्ति को नकारने के लिए पर्याप्त रूप से सारवान् हैं;

(9) परिस्थितियों में साधारणतः जो लागत और मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, उससे किसी तात्विक विच्युति के प्रति ध्यान आकृ-ट नहीं करता है;

(10) फीस या परिलब्धि या खर्च किए जाने के लिए रखे गए रुपए-पैसे से भिन्न अपने मुवक्किल के रुपए-पैसे पृथक् बैंक खाते में नहीं रखता है या ऐसे रुपए-पैसे को युक्तियुक्त समय के भीतर उन प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं करता है जिनके लिए उसका प्रयुक्त किया जाना आशयित है,

तो वह वृत्तिक अवचार का दो-ी समझा जाएगा ।

भाग 2

संस्थान के सदस्यों के संबंध में साधारणतः वत्तिक अवचार

यदि संस्थान का कोई सदस्य, चाहे वह व्यवसाय में हो, या नहीं—

(1) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए विनियमों या परि-ाद् द्वारा जारी किए गए किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है;

(2) किसी कंपनी, फर्म या किसी व्यक्ति का कर्मचारी होते हुए तब के सिवाय अपने नियोजन के अनुक्रम में अर्जित गोपनीय सूचना को प्रकट करता है, जब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है या नियोजक द्वारा अनुज्ञात किया जाता है;

(3) संस्थान, परिषद् या उसकी किसी समिति या निदेशक (अनुशासन), अनुशासन बोर्ड, अनुशासन समिति, क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड या अपील प्राधिकरण को पेश की जाने वाली किसी सूचना, कथन, विवरणी या प्ररूप में ऐसी विशिष्टियां सम्मिलित करता है जिनके बारे में वह यह जानता है कि वे मिथ्या हैं;

(4) अपनी वृत्तिक हैसियत में प्राप्त धनराशि को हड़पता है या उस का गबन करता है,

तो वह वृत्तिक अवचार का दो-ी समझा जाएगा ।

भाग 3

संस्थान के सदस्यों के संबंध में साधारणतः अन्य अवचार

संस्थान का कोई सदस्य, चाहे वह व्यवसाय में हो या नहीं तब अन्य अवचार का दो-ी समझा जाएगा जब उसे किसी सिविल या दण्ड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दो-ासिद्ध ठहराया जाता है, जो छह मास से अधिक अवधि के कारवास से दण्डनीय है ।"।

———